पत्र संख्या– **HPFD-F05/103/2024-FCA**
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 0.7903 ha of forest land in favour of M/s Shiv Shakti Enterprises, Anurag Kutir, Lower Doharu Mohilla Ghuggar Tehsil Palampur & Distt. Kangra, H.P. for the construction of Lower Bhagair Small Hydro Project (1.00 MW) within the jurisdiction of Chamba Forest Division, District Chamba, Himachal Pradesh.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 09/01/2024 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विषयाअधिन प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

शर्तें	**उत्तर**
A. वे शर्तेंजिनकाराज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:- **पण** प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए ।	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करावा ली है।
पपण राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। बचन बद्वता संलग्न हैं ।
पपपणWP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.7903 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.7903 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
पअण प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली गई है।
अण पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की गई।

अपण प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनिच्श्रित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहि किया जाएगा ।	प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए गए है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गए हैं।
अपपण Carrying Capacity Studies (CCS) and Cumulative Impact Assessment Studies(CIS) as per the OM NoJ-11013/I/2013-IA-I dated 28th May, 2013 shall be carried out, except for the first Hydro-electric Project in a river basin where such study CCS and CIS need not be carried as mentioned in the aforesaid OM, and based on the outcome of such study the 'final' approval shall be granted.	The user agency has agreed to submit CCS and CIA before final approval. Undertaking in this regard is attached herewith.
अपपपण प्रयोत्का एजेंसी यह सुनिच्श्रित करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही **स्वीकृत** किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि **“इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है”** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा ।	इस आशय का एक वचन पत्र कि **“इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है”** प्रयोक्ता अभिकरणर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
पगण FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।
B. वे शर्तेंजिनकाराज्य वनविभाग द्वारा प्रयोत्का एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अडंरटेकिंग के रुप में अनुपालन स्टेज–।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जानाहै।	
1ण वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदलि नही जाएगी।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदलि नही जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
2ण परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3ण प्रतिपुरक वनीकरणः	
(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर 1581 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर 1581 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
(ख)प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबन्धित दस्तावेज अन्यथा IFA 1927 के अन्तर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर ततसम्बधित दस्तावेज विधिवत	प्रयोक्ता अभिकरण ने स्वीकार किया है कि प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबन्धित दस्तावेज अन्यथा IFA 1927 के अन्तर्गत,

स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	RF/PF में अधिसूचित करा कर ततसम्बधित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
(ग)वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है।
4ण राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्वता संलगन है।
5ण वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाऐ गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाऐ गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्वता दी है।
6ण माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPVकी राशी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे।	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
7ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में रोपित कर Greeneary को maintain करे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्ीानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में रोपित कर Greeneary को maintain करने के बाबत undertaking संलग्न है।
8ण प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडें का पातन नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडें का पातन नही किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
9ण आस–पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा।	आस–पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण ने इसके लिए सहमती जताई है।
10णपरियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई0 पोर्टल ds(http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई0 पोर्टल ds(http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित किया गया है।
11ण प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक होतो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण ने इसके लिए सहमती जताई है।
12ण केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले–आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रिय सरकारकिअनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13ण वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14णप्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकताहै।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्य रत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकताहै। इस सम्बन्ध ा में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

15ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा।	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो की बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
16ण परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। बचन बद्वता संलगन है।
17ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा।
18ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
19ण The State Government/user agency shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Honble NGT, MoEF &CC, Govt. of India and any other regulatory authorities for conservation and developmente of aquatic flora and fauna.	The State Government/user agency shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Honble NGT, MoEF &CC, Govt. of India and any other regulatory authorities for conservation and developmentee of aquatic flora and fauna.
20ण Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	Any other condition that will be stipulated by the Ministry will be adhered accordingly and it will be ensured that the provision of al acts, rules, regulations are strictly complied. Undertaking in this regard, is attached herewith.
21ण . State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project.	State Govt. will ensured that the user agency has complied the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project. Undertaking in this regard, is attached herewith.
22ण The User Agency shall submit the annual	The user agency has submitted an undertaking that they will submit the

	self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly.	annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly.
23ण	प्रयोक्ता अभिरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीर्वित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
24ण	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
25ण	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वनसंरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वनसंरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 27-09-2024 17:13:02

नोड़ल अफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०